

मांग संख्या 56
मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन (नॉन प्लान) भारित डिक्री धन के भुगतान हेतु राशि ₹ 3.01 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 3,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2 से 4

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत केन्द्रांश राशि ₹ 136.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।